



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

13

मिसल नं.
66/2022

तारीख दायर
06/04/2022

तारीख फैसला
28/11/2024

1. मोहन पुत्र गोपी
2. राजेन्द्र पुत्र गोपी
3. भोली पत्नि गोपी
- जाति चमार निवासी पोतली तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र भोरया
2. रामधन पुत्र श्री किशन
3. चन्दरी पत्नि श्री किशन
4. कजोड पुत्र प्रभू
5. दयाराम पुत्र प्रभू
6. भोरी पत्नि प्रभू
7. गणपत पुत्र गोपी
8. सुनील पुत्र गोपी
- जाति चमार निवासी पोतली तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0।
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक, पंजियन कार्यालय आंधी/जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :- वकील वादीगण।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

वादी की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 0.51 है0 व ख0न0 188 रकबा 2.02 है0 स्थित ग्राम पोतली, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ़ हाल आंधी जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नहीं कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 21.09.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पोतली, तहसील आधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित निम्नांकित आराजियात का तक्कासा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमावन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमावन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा हे०	किस्म	लगान
कमलेश पुत्र प्रभू हि० 1/12, गंगाराम पुत्र भोरया हि० 1/4, गणपत पुत्र गोपी हि० 1/20, चन्दरी पत्नि श्री किशन हि० 1/8, दयाराम पुत्र प्रभू हि० 1/12, भोरी पत्नि प्रभू हि० 1/12, भोली पत्नि गोपी हि० 1/20, मोहन पुत्र गोपी हि० 1/20, राजेन्द्र पुत्र गोपी हि० 1/20, रामधन पुत्र श्री किशन हि० 1/8, सुनील पुत्र गोपी हि० 1/20 समस्त जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमावन्दी	16 188 98	0.10 2.02 0.51	ग.मु.रास्ता वारानी 3 वारानी 1	—
योग	किता 3	2.63	—	—

—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	हे०	किस्म	लगान
गंगाराम पुत्र भोरया हि० पूर्ण जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा०	188/2 188/7 98/2	0.26 0.19 0.1150	—	—
योग	किता 3	0.5650	—	—
चन्दरी पत्नि श्री किशन हि० 1/2, रामधन पुत्र श्रीकिशन हि० 1/2 समस्त जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा०	188/4 188/9 98/4	0.17 0.28 0.1150	—	—
योग	किता 3	0.5650	—	—
भोरी पत्नि प्रभू हि० 1/3, कजोड मल पुत्र प्रभू हि० 1/3, दयाराम पुत्र प्रभू हि० 1/3 समस्त जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा०	188/1 188/6 98/1	0.20 0.25 0.1150	—	—
योग	किता 3	0.5650	—	—
भोली पत्नि गोपी हि० 1/5, गणपत पुत्र गोपी हि० 1/5, मोहन पुत्र गोपी हि० 1/5, राजेन्द्र पुत्र गोपी हि० 1/5, सुनील पुत्र गोपी हि० 1/5 समस्त जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा०	188/3 188/8 98/3	0.18 0.27 0.1150	—	—
योग	किता 3	0.5650	—	—
शामलाती हिस्सा एवं राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा० खाता सं० 104	16 मूल 188/5 188/10 98/5	0.10 0.10 0.12 0.05	—	—
योग	किता 4	0.37	—	—

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

33

सामग्रीय विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाले दर्जे अंकित की जाके साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुकम इस्तिनाद दवाबी से वाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण को हिस्से में आई आग-जोखान में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिप्टी जारी है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को मेरे द्वारा दफ्तरी कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उप-सुपखण्ड अधिकारी
अधिसूचना

डिग्री युक्तदमा इबतार्ई

(रुल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

मोहन वगै०

बनाम

गंगाराम वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा सा०टी०एक्ट

कदमा नम्बर - 66/2022

मुक्तदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुवरु श्री ललित गीना बहाजिरी श्री महेश शर्मा अधिवकता पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम गी, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया र वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

:- वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
कमलेश पुत्र प्रभू हि० 1/12, गंगाराम पुत्र भोरया हि० 1/4, गणपत पुत्र गोपी हि० 1/20, चन्दरी पत्नि श्री किशन हि० 1/8, दयाराम पुत्र प्रभू हि० 1/12, भोरी पत्नि प्रभू हि० 1/12, भोली पत्नि गोपी हि० 1/20, मोहन पुत्र गोपी हि० 1/20, राजेन्द्र पुत्र गोपी हि० 1/20, रामधन पुत्र श्री किशन हि० 1/8, सुनील पुत्र गोपी हि० 1/20 समस्त जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमाबन्दी	16 188 98	0.10 2.02 0.51	गै.मु.रास्ता बाराणी 3 बाराणी 1	-
योग	किता 3	2.63	-	-

:- प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
गंगाराम पुत्र भोरया हि० पूर्ण जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा०	188/2 188/7 98/2	0.26 0.19 0.1150	-	-
योग	किता 3	0.5650	-	-
चन्दरी पत्नि श्री किशन हि० 1/2, रामधन पुत्र श्रीकिशन हि० 1/2 समस्त जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा०	188/4 188/9 98/4	0.17 0.28 0.1150	-	-
योग	किता 3	0.5650	-	-
भोरी पत्नि प्रभू हि० 1/3, कजोड मल पुत्र प्रभू हि० 1/3, दयाराम पुत्र प्रभू हि० 1/3 समस्त जाति चमार सा०देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा०	188/1 188/6 98/1	0.20 0.25 0.1150	-	-
योग	किता 3	0.5650	-	-
भोली पत्नि गोपी हि० 1/5, गणपत पुत्र गोपी हि०	188/3 188/8	0.18 0.27	-	-

उपखण्ड न्यायालय
जमवारामगढ


1/5, मोहन पुत्र गोपी हि0 1/5, राजेन्द्र पुत्र गोपी हि0 1/5, सुनील पुत्र गोपी हि0 1/5 समस्त जाति चमार सा0 देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा0	98/3	0.1150		
योग	किता 3	0.5650	-	-
शामलाती हिस्सा एवं राहिन मुताबिक बदस्तुर जमा0 खाता सं0 104	16 मूल 188/5 188/10 98/5	0.10 0.10 0.12 0.05	-	-
योग	किता 4	0.37	-	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेव्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 28/11/2024 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
जमशदपुरा मण्डल

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		


उपखण्ड अधिकारी
जमशदपुरा मण्डल